



राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर  
प्रकरण संख्या 08/2025

प्रार्थी/सायल  
राजस्थान सरकार जरिये  
हल्का पटवारी पीपराली

बनाम

अप्रार्थी/गैर सायल  
भेराराम पुत्र खीयाराम जाति जाट  
निवासी पीपराली  
तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक:- 06.10.2025

### निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का पीपराली ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पीपराली के ख.न. 637/2 रकबा 0.1700 हैक्टैयर किस्म बरानी सोयम(राजकीय भूमि) में से 0.0202 हैक्टैयर पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाड़ बनाकर अतिक्रमण/अतिचार किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किये गये।

सुनवाई की नियत तिथि को सायल हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल को सुनवाई का पूनः अवसर दिया जाकर पत्रावली 06.10.2025 पेश हुई। गैर सायल को सुनवाई का दुबारा मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन-तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहे। अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म बरानी सोयम(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा साबित होता है। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.19 का राउण्ड अप 1 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दिये जाते हैं। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. रतनपुरा तथा मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हों।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ईश्वरलाल सोलंकी एस)

तहसीलदार गुड़ामालानी